रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2538] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936
No. 2538] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014

**(आय–कर)**

**का.आ. 3169(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (14वां संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(i) नियम 11-णक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**"धारा 35कघ के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए मार्गनिर्देश ।**

11-णख (1) अधिनियम की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiii) के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की अधिसूचना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी, अर्थात् :—

(क) आवेदक प्ररुप सं. 3गध में इकाई की अधिसूचना के लिए सदस्य (आयकर), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदन करेगा;

(ख) बोर्ड आवेदक को किसी कमी का पत्र भेजेगा यदि प्ररुप सं. 3गध में कोई कमी जानकारी में आती है या यदि उसने कोई सुसंगत दस्तावेज संबद्ध नहीं किए हैं;

(ग) आवेदक कमी के पत्र की तामील की तारीख से 15 दिनों की अवधि या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे इस निमित्त आवेदन द्वारा बढ़ाया जा सकेगा, कमियों को दूर करेगा;

(घ) यदि आवेदक इस प्रकार अनुज्ञात अवधि के भीतर कमियों को दूर करने में असफल रहता है, बोर्ड का यदि समाधान हो जाता है तो बोर्ड आवेदन को अविधिमान्य मानने के लिए आदेश पारित कर सकेगा;

(ङ) बोर्ड आवेदक से ऐसे दस्तावेजों और सूचना की मांग कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे और ब्यौरों या सूचना की आवेदक से मांग करने के साथ-साथ आयकर प्राधिकारियों और अन्य विभागों या अभिकरणों से मांग कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे;

(च) बोर्ड खंड (ङ) में निर्दिष्ट आवेदन और दस्तावेजों या सूचना पर विचार करने के पश्चात् या तो इकाई को अनुमोदन प्रदान करते हुए राजपत्र में प्रकाशन के लिए अधिसूचना जारी करेगा या कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगा;

(छ) बोर्ड का यदि समाधान हो जाता है तो वह अनुमोदन का प्रतिसंहरण कर सकेगा कि--

(i) निर्धारिती ने विनिर्दिष्ट कारबार से संबंधित अपने कार्यकलाप करना बंद कर दिया है; या

(ii) ऐसे कार्यकलाप वास्तविक नहीं हैं या उन्हें धारा 35कघ या इस नियम के अधीन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है; या

(iii) इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन का प्रतिसंहरण कर लिया गया है ।

(ज) आवेदन को अविधिमान्य मानने या अस्वीकार करने या आवेदन का प्रतिसंहरण करने या अधिसूचना को रद्द करने का कोई आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा;

(झ) आवेदन को अविधिमान्य करने या अस्वीकार करने या अनुमोदन के प्रतिसंहरण करने के आदेश की एक प्रति आवेदक और निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी और आयुक्त को संसूचित की जाएगी ।

(2) किसी इकाई पर अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :-

(क) इकाई अनन्य रूप से अर्धचालक वेफर संविरचनाओं के विनिर्माण के लिए होगी;

(ख) इकाई के पास भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, द्वारा अधिसूचित उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन होगा;

(ग) इकाई द्वारा प्रचालनों का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् होगा;

(घ) इकाई के पास एक या अधिक विनिर्माण प्रसुविधाएं हो सकेंगी और सभी प्रसुविधाएं भारत में अवस्थित होंगी;

(3) निर्धारिती पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिट पर उपगत सभी पूंजी व्यय के पूर्ण ब्यौरों, जिन पर व्यय धारा 35कघ के अधीन उक्त कटौती का दावा करने का आशय रखता है, सहित पृथक् लेखा बहियां रखेगा और धारा 35कघ के अधीन कर फायदा लेने के लिए आयकर विभाग के पास सम्यक् तारीख से पूर्व सुसंगत आयकर विवरणियां फाइल करेगा ।

(4) धारा 35कग की उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xiii) के अधीन अधिसूचित किसी इकाई का इस नियम के उपबंधों द्वारा प्रशासित होना, जहां तक वह समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नहीं है, जारी रहेगा ।

(5) इस नियम और प्ररुप में,--

(क) ''सक्षम प्राधिकारी से'' भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, द्वारा अधिसूचित उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन अनुमोदन करने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रचालन आरंभ करने की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होता है;

(ग) ''अर्धचालक वेफर संविरचना'' से एकीकृत परिपथ अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अधीन विभाजन 26; समूह 261; वर्ग 2610; उपवर्ग 26103 के अधीन आते हैं;

(घ) ''इकाई'' से अर्धचालक वेफर संविरचनाओं के विनिर्माण के लिए सुविधा अभिप्रेत है ;''

(ii) परिशिष्ट II में, प्ररुप सं. 3गध के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**प्ररुप सं. 3गध**

[नियम 11णख(1)(क) देखें]

**धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार के रूप में अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की अधिसूचना के लिए आवेदन**

**1.1 विनिर्दिष्ट कारबार का नाम और पता (पूर्ण, स्पष्ट अक्षरों में) :-**

.....
.....

**1.2 निर्धारिती के ब्यौरे**

(i) नाम (पूर्ण, स्पष्ट अक्षरों में) .....

(ii) क्या नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां तो पूराना नाम दें

.....

(iii) पेन | | | | | | | | | | |

(iv) पूरा पता.....

.....

(v) कार्यालय का टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित)

.....

(vi) मोबाइल नं. ..... ई-मेल पता .....

(vii) निगमन/विरचना की तारीख (दिन/मास/वर्ष) जो लागू हो | | | | | | | | |

(viii) स्थिति ☐

[पब्लिक कंपनी-1, प्राइवेट कंपनी-2, भागीदारी फर्म-3, स्थानीय प्राधिकारी-4, सहकारी सोसाइटी-5, एलएलपी-6, एओपी/बीओआई कृत्रिम विधिक व्यक्ति-7, व्यष्टिक-8, हि.अ.वि.-9, कोई अन्य व्यक्ति-10 (कृपया विनिर्दिष्ट करें.....)]

(ix) यदि घरेलू कंपनी है (√ चिन्ह लगाएं) ☐

(x) आयकर वार्ड/सर्कल .....

(xi) आवासीय प्रास्थिति (√ चिन्ह लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी

**2.1 प्रस्तावित इकाई की प्रास्थिति**

(i) इकाई का नाम (यदि कोई हो) .....

(ii) प्रस्तावित इकाई की प्रास्थिति/प्रास्थितियों का पूरा पता :-

(क) प्रास्थिति 1. .....

(ख) प्रास्थिति 2. .....

**2.2** इकाई के प्रचालनों के प्रारंभ होने की संभावित या वास्तविक तारीख .....

**3.1 क्या नियम 11णख के उपनियम (2) में वर्णित निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया गया है :-**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | इकाई अनन्य रूप से अर्धचालक वेफर संविरचनाओं के विनिर्माण के लिए है | हां/नहीं |
| (ख) | इकाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अनुमोदित किया गया है | हां/नहीं |
| (ग) | परियोजना के प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2014 या उसके पश्चात् है | हां/नहीं |
| (घ) | इकाई की सभी विनिर्माण प्रसुविधाएं भारत में अवस्थित हैं | हां/नहीं |

**3.2 यदि पूर्वोक्त 3.1(ख) का उत्तर 'हां' है तो** -

(क) इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम के अधीन अनुमोदन की तारीख .....

(ख) ऐसे अनुमोदन की आदेश सं. .....

**घोषणा**

मैं/हम..... इकाई के प्रचालनों को ..... अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कघ के उपबंधों के अनुसार जारी रखने का वचनबंध करते हैं ।

मैं/हम ..... प्रमाणित करते हैं कि पूर्वोक्त कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर
.....
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
.....
(हस्ताक्षकर्ता का पदनाम)

स्थान .....
तारीख .....
संलग्नकों की सूची

1. ..... 5. .....
2. ..... 6. .....
3. ..... 7. .....
4. .....

[अधिसूचना सं. 80/2014/फा. सं.142/4/2014-टीपीएल]
रमन चोपड़ा,निदेशक (टीपीएल-II)

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं का.आ. 3015(अ) तारीख 28-11-2014 द्वारा किया गया ।